संख्या-62/2016/ पी-920/अडतीस-9-16-87(पीएमजीएसवाई)/2008

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 20 दिसम्बर, 2016**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपदों के मार्गों पर 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा रिसर्फेसिंग (रिन्यूवल कोट) के कार्य का प्राविधान अनुबन्ध में अनिवार्य (मैंडेटरी) रूप से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1927/टी-226/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016, दिनांक-19.08.2016 एवं पत्र संख्या–2588/टी-226/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016, दिनांक-13.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई-2) बैच-1, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार के क्लियरेन्स पत्र संख्या-पी-17024/26/2013-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-332858) दिनांक-11.08.2016 द्वारा 29 जनपदों के लिये 112 मार्गों पर उच्चीकरण के कार्यों के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्राप्त हुई है कि 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के पश्चात् रिसर्फेसिंग (रिन्यूवल कोट) के कार्य का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध में किया जाना अनिवार्य (मैन्डेटरी) होगा, अतएव कार्यादेश जारी करने के पूर्व 05 वर्ष सामान्य अनुरक्षण के पश्चात् इन मार्गों की रिसर्फेसिंग (पीरियाडिकल रिन्यूवल) की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से वहन किये जाने हेतु प्रत्येक स्वीकृति के सापेक्ष रिसर्फेसिंग (पीरियाडिकल रिन्यूवल) के कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई-2) बैच-1, वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत भारत सरकार के क्लियरेन्स पत्र दिनांक-11.08.2016 द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के पश्चात् रिसर्फेसिंग (रिन्यूवल कोट) के कार्य का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध में किया जाना अनिवार्य (मैन्डेटरी) होगा। अतएव, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्यक् विचारोपरान्त मार्गों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी करने से पूर्व 05 वर्ष सामान्य अनुरक्षण के पश्चात् छठवें वर्ष इन मार्गों की रिसर्फेसिंग (पीरियाडिक रिन्यूवल) हेतु आने वाले व्यय भार को राज्य सरकार के स्तर से वहन किये जाने हेतु एवं वर्तमान तथा भविष्य में भारत सरकार से प्राप्त प्रत्येक स्वीकृति के सापेक्ष मार्गों की रिसर्फेसिंग (पीरियाडिक रिन्यूवल) का कार्य कराये जाने पर राज्य सरकार की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।

कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2016/ पी-920(1)/अइतीस-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण संपर्क प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली को उनके संख्या-पी-17024/26/2013-आर0सी0 (एफ0एम0एस0नं0-332858) दिनांक-11.08.2016 के संदर्भ में।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।

7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1

8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in